185

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)
(केम्प सागर संभाग सागर (म0प्र0)

I/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/1587

1. अमोल पटैल पिता स्व0 श्री शंकरलाल पटैल (मुहत्तरकार)
निवासी तिली गॉव बाघराज वार्ड सागर (म0प्र0)

..................**निगरानीकर्ता**

/ / विरूद्ध / /

1. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय सागर (म0प्र0)

...........**प्रतिनिगरानीकर्ता**

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय कलेक्टर महोदय सागर संभाग सागर (म0प्र0) की न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 355 बी / 121 वर्ष 15– 16 पेश किया था। जिसे माननीय कलेक्टर महोदय सागर (म0प्र0) द्वारा दिनॉक 27 / 004 / 2017 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। जिससे दुखी होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि निगरानीकर्ता अमोल पटैल पिता स्व0 श्री शंकरलाल पटैल निवासी तिली गॉव बाघराज वार्ड सागर (म0प्र0) के अधिपत्य,स्वामित्व एवं कब्जे की पैत्रिक भूमि पटवारी हल्का नं 63, खसरा नं. 46 / 1(ख) रकवा 1.50 एकड़ स्थित है। यह भूमि निगरानीकर्ता के पूर्वज हल्काई काछी को उनके पिताजी झत्ते वल्द करनजू काछी ने सन् 1933 में मंदिर के लिये दान में दी थी। उक्त भूमि पर वर्तमान में निगरानीकर्ता का अधिपत्य, स्वामित्व एवं कब्जा है।

Adv.

क्रमश : 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/1587

अमोल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 355/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-04-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 07/3/19	